



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4

PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 93]
No. 93]

नई दिल्ली, शुक्रवार, जून 13, 2003/ज्येष्ठ 23, 1925
NEW DELHI, FRIDAY, JUNE 13, 2003/JYAISTHA 23, 1925

भारतीय विमान पत्तन प्राधिकरण

अधिसूचना

नई दिल्ली, 13 जून, 2003

सं. स्योरा/1351/9.—भारतीय विमान पत्तन प्राधिकरण, भारतीय विमान पत्तन प्राधिकरण अधिनियम, 1994 (1994 का 55) की धारा 42 की उपधारा (2) के खंड (घ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा भारतीय अंतरराष्ट्रीय विमान पत्तन (माल का भंडारण और प्रसंस्करण) विनियम, 1993 का ऐसी बातों के सिवाय जो ऐसे अधिक्रमण के पूर्व की गई हैं या जिनके किए जाने का लोप किया गया है, अधिक्रमण करते हुए, केन्द्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन से निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात् :-

1. संक्षिप्त नाम, और प्रारंभ - (1) इन विनियमों का संक्षिप्त नाम भारतीय विमान पत्तन प्राधिकरण (स्थोरा, कूरियर और एक्सप्रेस माल तथा पोस्टल डाक का भंडारण और प्रसंस्करण) विनियम, 2003 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. परिभाषाएं— (1) इन विनियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हों,-

(क) “अधिनियम” से भारतीय विमान पत्तन प्राधिकरण अधिनियम, 1994 (1994 का 55) अभिप्रेत है;

(ख) “विमान पत्तन निदेशक” से विमानपत्तन निदेशक या विमानपत्तन या विमान क्षेत्र या सिविल अंतःक्षेत्र का भारसाधक अभिप्रेत है ;

- (ग) “नियंत्रक” से विमान क्षेत्र का नियंत्रक अभिप्रेत है;
- (घ) “कार्यपालक निदेशक(स्थोरा)” से निगम कार्यालय स्थित कार्यपालक निदेशक अभिप्रेत है ;
- (ङ.) “प्राधिकरण” से अधिनियम की धारा 3 के अधीन गठित भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण अभिप्रेत है;
- (च) “यात्री सामान” से किसी यात्री के पहनने के कपड़े और निजी वस्तुएं अभिप्रेत हैं और इसके अंतर्गत विमान मार्ग पत्र के अधीन जा रहा साथ न चलने योग्य यात्री सामान भी है;
- (छ) “प्रवेश पत्र” से सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 46 में उल्लिखित प्रवेश पत्र अभिप्रेत है;
- (ज) “स्थोरा” से माल के संबंध में किसी वायुयान में ले जाई गई या ले जाई जाने वाली संपत्ति या माल तथा ऐसी संपत्ति या माल जिसके अंतर्गत विमान मार्ग पत्र के अधीन जा रहा साथ में न चलने योग्य यात्री सामान तथा राजनयिक थैला तथा कूरियर बैग, एक्सप्रेस पार्सल, पोस्टल डाक, शीतागार में भंडारित किए जाने के लिए आशयित कृषिक उत्पाद और माल भी हैं जिनकी उठाई-धराई (हैंडलिंग), प्रसंस्करण या भंडारण प्राधिकरण या प्राधिकरण द्वारा प्रत्यायित अभिकरण द्वारा किया गया है, अभिप्रेत है;
- (झ) “स्थोरा उठाई धराई (हैंडलिंग) अभिकरण” से प्राधिकरण के अभिकर्ता या अनुज्ञप्तिधारी के रूप में स्थोरा की उठाई-धराई करने वाला व्यक्ति, फर्म या कंपनी अभिप्रेत है इसके अंतर्गत प्राधिकरण भी हो सकता है;
- (ञ) “वाहक” से ऐसी एयरलाइन (विमान सेवा) अभिप्रेत है जो स्थोरा ले जाती है या ले जाने का वचनबंध करती है या ऐसे विमान वहन से संबंधित कोई अन्य सेवा कर रही है;
- (ट) “स्थोरा टर्मिनल” से विमानतल स्थोरा टर्मिनल के घेरे में आने वाला क्षेत्र, संरचना तथा संस्थापन तथा कोई अन्य अनुषंगिक क्षेत्र संरचना और संस्थापन जिसके अंतर्गत अंतरराष्ट्रीय स्थोरा या देशीय स्थोरा को उठाई-धराई, भंडारण और प्रसंस्करण के लिए पूर्णतः या भागतः प्रयुक्त होने वाला शीतगार, भारी स्थोरा शेड, खाड़ी क्षेत्र, जीवित पशु शेड, मूल्यवान स्थोरा कोषकक्ष, आदि भी है, अभिप्रेत हैं;
- (ठ) “कार्टिंग (ढुलाई) आदेश” से ऐसा दस्तावेज या वाहक द्वारा जारी किए गए विमान मार्ग पत्र पर किया गया पृष्ठांकन अभिप्रेत है जिसमें नियत उड़ान और तारीख द्वारा निर्यात स्थोरा को एयर लिफ्ट (विमान से लो जाने) का वचनबंध किया जाता है;

(ड) “परेषिती” से ऐसा व्यक्ति जिसका नाम विमान मार्ग पत्र पर प्रकट होता है या ऐसा व्यक्ति जिसको स्थोरा परिदत्त किया जाता है, अभिप्रेत है ;

(ढ) “डेमरेज” से प्राधिकरण के या स्थोरा टर्मिनल स्थित सीमाशुल्क के स्थोरा टर्मिनल से निकासी या हटाने के लिए अनुबंधित निःशुल्क भंडारण अवधि के परे विस्तारित अवधि के लिए स्थोरा, माल, साथ में न ले जाया जाने वाला यात्री सामान, भंडार, कूरियर बैग, एक्सप्रेस पार्सल, पोस्टल डाक आदि के भंडारण के लिए स्थोरा टर्मिनल पर भंडारण सुविधा का उपभोग करने के लिए माल भेजने वाले या परेषिती या वाहक या यात्री द्वारा प्राधिकरण को संदेय दर या प्रभार की रकम अभिप्रेत है ;

(ण) “डीस्टफिंग” से प्रसंस्करण का ऐसा क्रियाकलाप अभिप्रेत है जिसके अंतर्गत इकाई भार युक्ति से जिसके अंतर्गत ट्राली आदि भी है, स्थोरा का उतारा जाना है ;

(त) “इलेक्ट्रानिक डाटा अदला-बदली (इंटरचेंज)” से संदेशों के प्रयोक्ता अनुकूल इलेक्ट्रानिक अदला-बदली के लिए मूल्य वर्धित नेटवर्क सेवा की सेवाओं के माध्यम से पूर्वपरिभाषित मानकों या प्रपुंज मानकों में इलेक्ट्रानिक प्ररूप में संदेश, डाटा या दस्तावेजों की अदला-बदली के लिए प्रशासन, वाणिज्य और परिवहन हेतु संयुक्त राष्ट्र इलेक्ट्रानिक द्वारा अदला-बदली या अन्य सहमत मानक अभिप्रेत हैं ;

(थ) “निर्यात” से भारत के भीतर से किसी स्थान से भारत के बाहर स्थोरा या माल या संपत्ति का ले जाना अभिप्रेत है ;

(द) “निर्यात उठाई-धराई (हैंडलिंग)” से वहन, पैकिंग करना या पैकिंग हटाना (अवेस्टन) करने, सूची नियंत्रण आदि के लिए तैयार निर्यात स्थोरा की लदाई या उतराई अभिप्रेत है ;

(ध) “माल” से निम्नलिखित अभिप्रेत है और उसके अंतर्गत है-

- (i) जलयान, वायुयान और यान ;
- (ii) स्टोर (भंडार) ;
- (iii) यात्री सामान ;
- (iv) करेंसी और परक्राम्य लिखतें ; और

- (v) किसी अन्य प्रकार की जंगत संपत्ति ;
- (न) “स्थोरा विभागाध्याक्ष” से वह अधिकारी जो प्राधिकरण के निगम कार्यालय स्थित स्थोरा के विभाग का प्रधान है या ऐसा अन्य प्राधिकारी जिसे प्राधिकरण के अध्यक्ष द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किया गया हो, अभिप्रेत है और उसके अंतर्गत कार्यपालक निदेशक (स्थोरा) है ;
- (प) “आयात” से भारत के बाहर के किसी स्थान से स्थोरा या संपत्ति का भारत में लाना अभिप्रेत है ;
- (फ) “आयात उठाई-धराई (हैंडलिंग)” से आयात स्थोरा की लदाई या उतराई, खाली करना, अलग-अलग रखना, बिन्निंग, पैकिंग करना या पैकिंग खोलना, तालिका नियंत्रण और निकासी न किए गए या दावा न किए गए स्थोरा क्रियाकलाप आदि का निपटान किया जाना अभिप्रेत है ;
- (ब) “अधिकारी” से प्राधिकरण का कोई अधिकारी अभिप्रेत है जिसके अंतर्गत विमानपत्तन निदेशक विमान क्षेत्र नियंत्रक विमानपत्तन या विमान क्षेत्र या सिविल अंतःक्षेत्र का भारसाधक निगम कार्यालय स्थित या विमानपत्तन या विमान क्षेत्र या सिविल अंतःक्षेत्र स्थित स्थोरा विमान का प्रधान भी है ;
- (भ) “भेजने वाला” से अभिप्रेत है और उसके अंतर्गत है कोई निर्यातक या अभिकर्ता या यात्री या परेषक जो विमानवहन के लिए स्थोरा निविदत्त करता है;
- (म) “पोत परिवहन पत्र” से सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 50 में निर्दिष्ट पोत परिवहन पत्र अभिप्रेत है ;
- (य) “विशेष प्रभार” से प्राधिकरण द्वारा शीतागार, कोषकक्ष, जीवित पशुओं के लिए शेड परिसंकटग्रस्त माल, एक्स रे स्क्रीनिंग, ब्रेक बल्क फंक्शन आदि जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए उद्गृहीत या संगृहीत किया जाने वाला प्रभार अभिप्रेत है ;
- (यक) “भंडार” से जलयान या वायुयान से उपयोग के लिए मूल अभिप्रेत है और उसके अंतर्गत ईंधन, फालतू पुर्जे और अन्य वस्तुएं तथा उपस्कर हैं चाहे तत्काल उपयोग के लिए हों या नहीं;

(यख) “अनुसूची” से इन विनियमों से संलग्न अनुसूची अभिप्रेत है; ऐसी एयरलाईन (विमान सेवा) अभिप्रेत है जो स्थोरा ले जाती है या वे जाने का वचनबंद करती है या ऐसे विमानवहन से संबंधित कोई अन्य सेवा कर रही है ;

(यग) “टर्मिनल भंडारण और प्रसंस्करण प्रभार” से प्राधिकरण या किसी प्राधिकृत स्थोरा उठाई धराई (हैंडलिंग) अभिकरण द्वारा स्थोरा टर्मिनल सुविधाओं या उसकी सेवाओं के उपयोग के लिए तथा उपगत अन्य व्ययों के लिए जिसके अंतर्गत लदाई और उतराई, भांडागार में भंडारण या स्थोरा माल का प्रसंस्करण आदि है, उद्गृहीत या संगृहीत किए जाने वाले प्रभार अभिप्रेत है और उसके अंतर्गत विद्युत प्रभार, बीमा प्रीमियम, प्रतिभूति प्रभार, टर्मिनल प्रभार इलेक्ट्रानिक डाटा अदला-बदली और इलेक्ट्रानिक डाटा अदला-बदली सेवा केन्द्र प्रभार भारी स्थोरा तथा विशेष देखभाल की अपेक्षा वाले स्थोरा जैसे परिसंकटमय, विनश्वर, जीवित पशु, मूल्यवान वस्तुओं तथा एक्सप्रेस स्थोरा आदि के लिए अधिभार तथा अनुज्ञप्ति फीस भी है ;

(यघ) “यानान्तरण स्थोरा” से ऐसा स्थोरा अभिप्रेत है जो एक वाहक से उतारा जाता है तथा उसके अंतिम गंतव्य तक आगे वहन के लिए उसी या किसी अन्य वाहक या यान में लादा जाता है या लादे जाने के लिए आशयित है ;

(यङ) “मूल्यवर्धित नेटवर्क” से आधारभूत दूरसंचार नेटवर्क के मूल्य में अधिक लागत प्रभावी सेवा, अन्य अनुपूरक सेवा उपलब्ध कराने की दृष्टि से वृद्धि करना है जिसके अंतर्गत इलेक्ट्रानिक डाक, आन लाइन डाटा वेसेज, इलेक्ट्रानिक निधि अंतरण सेवा आदि हैं तथा समर्थन सुविधाओं का परिपोष जैसे इलेक्ट्रानिक डाटा अदला बदली मानक का लेखा परीक्षा पुछलना संव्यवहार तथा कार्यान्वयन समर्थन भी है ;

(यच) “एकीकरण” से स्थोरा के पैकेजों को एक ही इकाई में समेकित करने की प्रक्रिया है ;

(2) ऐसे शब्दों और पदों का, जो इसमें प्रयुक्त किए गए हैं किंतु परिभाषित नहीं किए गए हैं तथा अधिनियम में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उनका उस अधिनियम के अधीन है ।

3. स्थोरा के, भंडारण, प्रसंस्करण और उठाई धराई (हैंडलिंग) के लिए अपेक्षित प्रक्रिया और दस्तावेज-(1) किसी विमानपत्तन, विमानक्षेत्र या सिविल अंतःक्षेत्र पर स्थोरा टर्मिनल में स्थोरा के भंडारण, प्रसंस्करण और उठाई धराई (हैंडलिंग) के लिए कागज आधारित दस्तावेज के माध्यम से या इलेक्ट्रानिक द्वारा अदला बदली के माध्यम से निम्नलिखित प्रक्रिया अपनाई जाएगी, अर्थात् :-

(क) माल के निर्यात के संबंध में, भेजने वाला संबंधित वाहक से एक विधिमान्य कार्टिंग आदेश अभिप्राप्त करेगा जो इसे पृथक् रूप से या पोत परिवहन पत्र पर स्टाम्प लगाकर या इलैक्ट्रॉनिक डाटा अदली बदली (इंटरचेंज) द्वारा जारी करेगा। स्थोरा या माल को स्थोरा टर्मिनल में प्राधिकृत पदधारी द्वारा टर्मिनल भंडारण और प्रसंस्करण संबंधी शुल्क प्राप्त हो जाने तथा उपर्युक्त दस्तावेज ठीक पाए जाने के पश्चात् ही ग्रहण किया जाएगा। प्रभार का संदाय नकद रूप में या पे-आर्डर चेक से या किसी अन्य पद्धति से जैसा प्राधिकरण द्वारा समय-समय पर विनिर्दिष्ट किया जाए, किया जाएगा और वे प्राधिकरण को चाहे प्रत्यक्षतः या प्रत्यायित हैंडलिंग अभिकरण के माध्यम से संदेय होंगे। भेजने वाला स्थोरा को प्राधिकरण या प्रत्यायित हैंडलिंग अभिकरणों या यथा स्थिति, संबंधित एयरलाइनों को सौंपने से पहले उसकी सीमा शुल्क पदधारियों से परीक्षा कराएगा जो उसे निर्जीवाणु रूप में तथ अंतरण के लिए बंधित क्षेत्र में रखेंगे तथा मांग किए जाने पर विधिमान्य रसीद अभिप्राप्त करने के पश्चात् संबंधित वाहक को अंतरित कर देंगे। प्राधिकरण स्थोरा या माल पर वसूलीय या लागू प्रभार उसके द्वारा प्राप्त किए जाने तक धारणाधिकार रखेगा।

(ख) आयातित माल के संबंध में, माल प्राधिकरण के अधिकारी या प्रत्यायित स्थोरा हैंडलिंग अभिकरण द्वारा वाहक से सीमाशुल्क पदधारियों के पूर्णतः पर्यवेक्षण के अधीन प्राप्त किया जाएगा। परेषिती संबंधित एयरलाइनों (विमान सेवाओं) से परिदान आदेश अभिप्राप्त करने, सीमाशुल्क पदधारियों द्वारा स्थोरा की परीक्षा कराने तथा सीमाशुल्क का “प्रभार वाहक” पृष्ठांकन प्राप्त करने के लिए उत्तरदायी होगा। प्राधिकरण के अधिकारी परेषिती या प्राधिकृत अभिकर्ता से लागू प्रभार का संग्रहण करने के पश्चात् तथा परेषिती या प्राधिकृत अभिकर्ता से माल प्राप्त करने की विधिमान्य रसीद अभिप्राप्त करके परेषिती या प्राधिकृत अभिकर्ता को परेषण परिदत्त कर देंगे। प्राधिकरण का प्रभारों का संदाय किये जाने तक स्थोरा या माल पर धारणाधिकार रहेगा।

(ग) यानान्तरण स्थोरा के संबंध में, प्राधिकरण द्वारा लागू प्रभारों के उद्ग्रहण और संग्रहण पर यथास्थिति इसके ग्रहण करने, सौंपने और परिदान करने के लिए सुसंगत एयरलाइनों (विमान सेवाओं) तथा सीमाशुल्क दस्तावेजों पर निर्भर किया जाएगा।

(2) स्थोरा विभागाध्यक्ष या विमानपत्तन निदेशक या विमानपत्तन या विमान क्षेत्र या सिविल अंतःक्षेत्र स्थित विमान क्षेत्र नियंत्रक स्थानीय स्थितियों के अनुकूल अतिरिक्त प्रक्रिया विनिर्दिष्ट कर सकेंगे। ऐसी प्रक्रिया के अंतर्गत स्थोरा टर्मिनल में आयात-निर्यात और यानान्तरण स्थोरा के भंडारण के लिए समय सीमा हो सकती है।

(3) स्थोरा विभागाध्यक्ष या विमानपत्तन निदेशक, विमानपत्तन या विमानक्षेत्र या सिविल अंतःक्षेत्र स्थित विमानक्षेत्र नियंत्रक या कार्यपालक निदेशक (स्थोरा) समय-समय पर स्थोरा या माल के भंडारण और प्रसंस्करण के लिए कागज आधारित/इलैक्ट्रॉनिक द्वारा अदली-बदली (इंटरचेंज) संव्यवहार के लिए स्थोरा टर्मिनल पर उपयोग किए जाने के लिए दस्तावेजों का अभिकल्पन करेगा या विहित करेगा और प्रक्रिया क्रियान्वित करेगा।

4. **प्रभार का उद्ग्रहण**— प्राधिकरण प्रभार उद्ग्रहीत कर सकेगा जिसके अंतर्गत टर्मिनल उठाई-धराई (हैंडलिंग) जिसमें इकाईकरण और विलगन प्रभार भी है, सुविधा प्रभार, टर्मिनल भंडारण और प्रसंस्करण प्रभार, सुस्था आवरण प्रभार, इलैक्ट्रानिक द्वारा अदला-बदली (इंटरचेंज) या मूल्यवर्धित नेटवर्क सेवा प्रभार, डेमरेज तथा जीवित पशुओं, परिसंकटमय स्थोरा, रेडियो एक्टिव स्थोरा, एक्सप्रेस स्थोरा, कूरियर और कोषकक्ष सुविधा की अपेक्षा वाले स्थोरा के लिए विशेष प्रभार हैं। प्राधिकरण कोई अन्य प्रभार उद्ग्रहीत कर सकता है जिसके लिए उसके द्वारा इन विनियमों के उपबंधों के अधीन उसके उपभोक्ताओं को सेवाएं उपलब्ध कराई जाती हैं, जिसके अंतर्गत ब्रेक बल्क प्रचालन या स्थोरा का समेकन और पोस्टल डाक आदि की उठाई-धराई (हैंडलिंग) आदि है।

5. **प्रभार-मान**—प्राधिकरण इन विनियमों के अधीन माल के भंडारण और प्रसंस्करण के लिए अपेक्षित सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए और एक युक्तियुक्त समय के परे भंडारण को अनुसरित करने के लिए अनुसूची में यथाविनिर्दिष्ट दर पर प्रभार मान नियत करेगा जिसके द्वारा टर्मिनल पर स्थोरा के निकास अवधि को न्यूनतम किया जा सकेगा।

6. **प्रभारों का अधित्यजन**— प्राधिकरण समय-समय पर इन विनियमों के अधीन डेमरेज प्रभारों के अधित्यजन के लिए प्रक्रिया और नीति अधिकथित करेगा।

7. **अनुज्ञप्ति फीस**—(1) प्राधिकरण द्वारा सीमाशुल्क, सरकारी विनियामक अभिकरणों, एयरलाइनों (विमान कंपनियों) विमान स्थोरा अभिकर्ताओं, सीमाशुल्क समाशोधन अभिकर्ताओं और विमान स्थोरा व्यापार से संबंधित अन्य अभिकरण को कार्यालय उपयोग, स्थोरा के भंडारण या प्रसंस्करण, उपस्कर के लिए निर्मित स्थान सुविधा तथा खुला स्थान ऐसी अनुज्ञप्ति फीस के संदाय पर दी जा सकेगी जैसा समय-समय पर अवधारित किया जाए।

(2) अनुज्ञप्तिधारी पानी, बिजली, सफाई, टेलीफोन, इलैक्ट्रानिक डाटा अदलाबदली (इंटरचेंज) और ऐसे अन्य प्रभारों का संदाय करने के दायित्वाधीन होगा जो प्राधिकरण द्वारा समय-समय पर नियत और उद्ग्रहीत किए जाएं।

8. **स्थोरा की देखभाल**—(1) स्थोरा अंतरराष्ट्रीय विमान स्थोरा टर्मिनल या इसके अनुलग्न संरचनाओं में सीमाशुल्क प्राधिकारियों के संपूर्ण नियंत्रण और पर्यवेक्षण के अधीन भंडारित किया जाएगा। जबकि प्राधिकरण उसे वाहक द्वारा परिदान किए गए आयात स्थोरा का अभिरक्षक होगा, निर्यात स्थोरा की जिम्मेदारी सीमाशुल्क परीक्षा के पहले भेजने वाले या उसके अभिकर्ता की, परीक्षा के दौरान सेके गए स्थोरा की बाबत सीमाशुल्क की तथा परीक्षा के पश्चात् वाहक की होगी। प्राधिकरण सीमाशुल्क स्थोरा का एयरलाइनों (विमान कंपनियों) की ओर से संबंधित एयर लाइनों (विमान कंपनियों) के साथ द्विपक्षीय करार के अधीन देखरेख अपने हाथ में ले सकता है, जब सीमाशुल्क शोधित स्थोरा इसे सौंपा जाता है तब एयरलाइनों (विमान कंपनियों) द्वारा उनकी

लदाई तक ऐसे स्थोरा के निर्विषाणु और सुस्वा के लिए बंधित क्षेत्र, सुरक्षित अभिरक्षा तथा भंडारण उपलब्ध कराएगा ।

(2) प्राधिकरण ऐसे स्थोरा या माल की जो उसकी अभिरक्षा में आता है, उसी प्रकार देखभाल करेगा जैसे सामान्य प्रजा का व्यक्ति उसी प्रकार की परिस्थितियों के अधीन अपने माल की देखभाल करता है और तत्प्रतिकूल किसी संविदा के अभाव में प्राधिकरण स्थोरा, कूरियर, या माल की हानि या विनाश या क्षय के लिए जिम्मेदार नहीं होगा यदि उपर्युक्त रूप में सावधानीबस्ती गई है परंतु स्थोरा या माल की हानि या विनाश के लिए क्षय के लिए प्राधिकरण का दायित्व विमान मार्गपत्र के अधीन यथा सन्निविष्ट वहन की संविदा के अधीन अनुज्ञेय दायित्व या वहक के दायित्व की सीमा से अधिक नहीं होगा ।

9. स्थोरा का भंडारण— कोई अधिकारी जो सहायक स्थोरा प्रबंधक की पंक्ति से नीचे का न हो स्थोरा के आवागमन और भंडारण के लिए तथा प्राधिकरण द्वारा स्थोरा टर्मिनल में उपलब्ध कराए गए स्थान, तुलाई, प्रसंस्करण और भंडारण उपस्कर के उचित उपयोग के लिए अनुदेश जारी कर सकता है ।

10. कार्मिक और यानों का प्रवेश— विनियम 9 में उल्लिखित अधिकारी व्यक्तियों और यानों का प्रवेश रोक या निर्बंधित कर सकते हैं तथा स्थोरा टर्मिनल के भीतर उनके गमनागमन को विनियमित कर सकते हैं ।

11. प्रचालन के घेरे— यथास्थिति, स्थोरा विभागाध्यक्ष या विमानपतन निदेशक या विमानक्षेत्र नियंत्रक स्थोरा टर्मिनल में विभिन्न प्रचालन (कार्य) के लिए कार्य का समय अधिकथित करेगा और समय-समय पर उसे पुनरीक्षित कर सकेगा ।

अनुसूची

(विनियम 5 देखिए)

प्रभार मान

भाग 1

अंतरराष्ट्रीय विमानपत्तनों पर प्रभार
क-निर्यात स्थोरा

(I) टर्मिनल, भंडारण और प्रसंस्करण प्रभार

क्र.सं.	स्थोरा का प्रकार	प्रतिकिलोग्राम दर		प्रतिपरिषेण न्यूनतम दर	
		विद्यमान रु./पै.	1 जनवरी, 2003 से रु./पै.	विद्यमान रु./पै.	1 जनवरी, 2003 से रु./पै.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	साधारण	0.61 रु.	0.67 रु.	100.00 रु.	110.00 रु.
2	# विशेष	1.21 रु.	1.32 रु.	200.00 रु.	220.00 रु.
3	विनश्वर	(क) 2.10 रु. जहां कहीं (स्टेट-ऑफ-द-आर्ट) कला की स्थिति सुविधा उपलब्ध कराई गई है। (ख) 0.61 रु. जहां अनन्य सुविधा उपलब्ध नहीं कराई गई है।	(क) 2.29 रु. जहां कहीं (स्टेट-ऑफ-द-आर्ट) कला की स्थिति सुविधा उपलब्ध कराई गई है। (ख) 0.66 रु. जहां अनन्य सुविधा उपलब्ध नहीं कराई गई है।	200.00 रु.	220.00 रु.

(II) डेमरेज प्रभार (भेजने वाले से उद्ग्रहणीय)

क्र.सं.	स्थोरा का प्रकार	प्रति दिन प्रतिकिलोग्राम दर		प्रतिपरिषेण न्यूनतम दर	
		विद्यमान रु./पै.	1 जनवरी, 2003 से रु./पै.	विद्यमान रु./पै.	1 जनवरी, 2003 से रु./पै.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	साधारण	0.62 रु.	0.68 रु.	100.00 रु.	110.00 रु.
2	# विशेष	1.24 रु.	1.35 रु.	200.00 रु.	220.00 रु.

1653GI/03-2

3	विनश्वर	(क) 2.10 रु. जहां कहीं (स्टेट-ऑफ-द- आर्ट) कला की स्थिति सुविधा उपलब्ध कराई गई है। (ख) 0.61 रु. जहां अनन्य सुविधा उपलब्ध नहीं कराई गई है।	(क) 2.29 रु. जहां कहीं (स्टेट-ऑफ- द-आर्ट) कला की स्थिति सुविधा उपलब्ध कराई गई है। (ख) 0.66 रु. जहां अनन्य सुविधा उपलब्ध नहीं कराई गई है।	200.00 रु.	220. 00 रु
---	---------	--	---	------------	------------

टिप्पण:

- निर्यात स्थोस के लिए निःशुल्क अवधि भेजने वाले द्वारा परीक्षा /प्रसंस्करण के लिए एक कार्य दिवस (24 घंटे) होगी।
- टर्मिनल, भंडारण और प्रसंस्करण प्रभारों में 10% छूट ऐसे निर्यात को प्रदान की जाएगी जो अपने यान से ट्रक डाक पर स्थोस उतारने के लिए और वहां से सीमाशुल्क परीक्षा क्षेत्र तक स्थानांतरित करने के लिए लोडर (लादने वाले) लगाने का विकल्प रखते हैं।
- समाचार पत्र और टी.वी. शील परेषणों को लागू टर्मिनल, भंडारण और प्रसंस्करण प्रभार विहित प्रभार का 50% होगा।
- मानव अवशेष, कफन जिसके अंतर्गत मृतक का साथ न चलने वाला यात्री सामान भी है और मानव आंख के परेषणों को टर्मिनल, भंडारण और प्रसंस्करण तथा डेमरेज प्रभार के परिक्षेत्र से छूट प्राप्त होगी।
- टर्मिनल, भंडारण और प्रसंस्करण प्रभारों में कोई फोर्कलिफ्ट प्रभार भी हैं जहां कहीं फोर्कलिफ्ट प्रयोग अंतर्गुह्य है। कोई पृथक् फोर्कलिफ्ट प्रभार उद्गृहीत नहीं किया जाएगा।
- # विशेष स्थोस के अंतर्गत जीवित पशु, परिसंकटमय माल तथा मूल्यवान स्थोस है।
- प्रभार परेषण के “सकल भार” या “प्रभार्य भार” पर जो भी अधिक हो, उद्गृहीत किए जाएंगे। जहां कहीं “सकल भार” और (या) “आयतन भार” विमान मार्ग पत्र में गलत रूप में उपदर्शित किया गया है तथा अधिक पाया जाता है तब प्रभार “वास्तविक सकल भार” या “वास्तविक आयतनी भार” पर जो भी अधिक हो, उद्गृहीत किया जाएगा।
- घोषित भार के 2 से उम्र तथा 5% तक भार की गलत घोषणा के लिए लागू टर्मिनल, भंडारण और प्रसंस्करण प्रभार की दुगुनी दर पर शास्तिक प्रभार उद्गृहीत किया जाएगा। 5% से उम्र के फेरफार के लिए शास्तिक प्रभार अंतरीय भार के टर्मिनल, भंडारण और प्रसंस्करण प्रभार को लागू प्रभार के पांच गुनी दर से उद्गृहीत किया जाएगा। 2% तक के फेरफार के लिए कोई शास्तिक प्रभार उद्गृहणीय नहीं होगा। यह मूल्यवान स्थोस को लागू नहीं होगा।
- प्रत्येक बिल को निकटतम 5/-रुपए तक पूर्णांकित किया जाएगा। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण कार्य कौशल (टैक्ट) नियम पुस्तक खंड 5.7.2, के अनुसार पूर्णांकित करने की प्रक्रिया जब पूर्णांकित करने की इकाई 5 है।

जब संगणना का परिणाम		पूर्णांकित रकम होगी ।
से	के बीच है	
102.5 —	107.4	105
107.5 —	112.4	110

ख-आयात स्थोरा**(I) टर्मिनल, भंडारण और प्रसंस्करण प्रभार**

क्र.सं.	स्थोरा का प्रकार	प्रति किलोग्राम दर		प्रति परेषण न्यूनतम दर	
		विद्यमान रु./पै.	1 जनवरी, 2003 से रु./पै.	विद्यमान रु./पै.	1 जनवरी, 2003 से रु./पै.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	साधारण	3.05 रु.	4.20 रु.	100.00 रु.	110.00 रु.
2	#विशेष और मूल्यवान	7.70 रु.	8.39 रु.	200.00 रु.	220.00 रु.

(II) डेमेरेज प्रभार

आयात स्थोरा के लिए निःशुल्क भंडारण अवधि उड़ान के आगमन की तारीख सहित 5 कार्यदिवस होगी । आगामी दो दिन के लिए डेमेरेज “प्रति किलोग्राम प्रति दिन” की दर से असंचयी आधार पर प्रभारित किया जाएगा परंतु तब जब परेषण की सात दिन के भीतर निकासी कर ली जाती है । यदि निकासी 7 दिन के पश्चात् (जिसके अंतर्गत उतारने की तारीख भी है) होती है तो डेमेरेज उड़ान के आगमन की तारीख से संपूर्ण अवधि के लिए निम्नलिखित रूप में प्रोद्भूत होगा :-

क्र.सं.	स्थोरा का प्रकार	अवधि	प्रतिकिलोग्राम दर		प्रतिपरेषण न्यूनतम दर	
			विद्यमान रु./पै.	1 जनवरी, 2003 से रु./पै.	विद्यमान रु./पै.	1 जनवरी, 2003 से रु./पै.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	साधारण स्थोरा	निःशुल्क अवधि सहित 7 दिन तक	1.13	1.23 रु.	250.00 रु.	275.00 रु.
		8 दिन से 30 दिन के बीच	2.25 रु.	2.45 रु.		
		30 दिन से अधिक	3.38 रु.	3.68 रु.		
2	#विशेष स्थोरा	निःशुल्क अवधि सहित 7 दिन तक	2.25 रु.	2.45 रु.	500.00 रु.	545.00 रु.
		8 दिन से 30 दिन के बीच	4.50 रु.	4.91 रु.		
		30 दिन से अधिक	6.75 रु.	7.36 रु.		

3	@ मूल्यवान् स्थोरा	निःशुल्क अवधि सहित 7 दिन तक	4.50 रु.	4.91 रु.	1,000.00 रु.	1,090. 00 रु
		8 दिन से 30 दिन के बीच	9.00 रु.	9.81 रु.		
		30 दिन से अधिक	13.50 रु.	14.72 रु.		

टिप्पण

- मानव अवशेष, कफन, जिसके अंतर्गत मृतक का यात्री सामान है तथा मानव आंखों के परेषणों को टर्मिनल, भंडारण और प्रसंस्करण तथा डेमरेज प्रभारों की परिधि से छूट प्राप्त होगी।
- कोई पृथक् फोर्कलिफ्ट प्रभार नहीं उद्गृहीत किए जाएंगे।
- प्रभार पारेषण के “सकल प्रभार” या “प्रभार्य प्रभार” पर जो भी अधिक हो, उद्गृहीत किया जाएगा। जहां किसी “सकल प्रभार” और (या) आयतन प्रभार विमान मार्ग पत्र पर गलत रूप से उपदर्शित किया जाता है तथा वास्तविक रूप में अधिक पाया जाता है तब प्रभार “वास्तविक सकल भार” या “वास्तविक आयतनी भार” या “प्रभार्य भार” पर जो भी अधिक हो उद्गृहीत किया जाएगा।
- # विशेष आयात स्थोरे के अंतर्गत शीतागार में भंडारित स्थोरा जीवित पशु तथा परिसंकटमय माल है।
- @ मूल्यवान् स्थोरा के अंतर्गत सोना, बुलियन, करेसी नोट, प्रतिभूतियां, शेयर, शेयर कूपन, यात्री चेक, हीरा (जिसके अंतर्गत औद्योगिक उपयोग के लिए हीरा हैं) हीरे के आभूषण, चांदी के बने आभूषण और घड़ियां, स्वर्ण प्लेटिनम और मर्दें जो यूएसडी 1000 प्रति किलोग्राम और उससे अधिक मूल्य की हैं, हैं।
- सभी बिल निकटतम 5 तक पूर्णांकित किए जाएंगे। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के (टैक्ट) कार्य कौशल नियम खंड 5.7.2 के अनुसार पूर्णांकित करने की प्रक्रिया जब पूर्णांकित करने की इकाई 5 है।

जब संगणना का परिणाम
— से — के बीच है
102.5 — 107.4
10.7.5 — 112.4

पूर्णांकित रकम होगी।

105
110

भाग-2

देशी विमानपत्तनों का प्रभार

क-निर्यात स्थोरा

(I) टर्मिनल, भंडारण और प्रसंस्करण प्रभार

क्र.सं.	स्थोरा का प्रकार	प्रतिकिलोग्राम दर		प्रतिपरेषण न्यूनतम दर	
		विद्यमान रु./पै.	1 जनवरी, 2003 से रु./पै.	विद्यमान रु./पै.	1 जनवरी, 2003 से रु./पै.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	साधारण	0.31 रु.	0.34 रु.	50.00 रु.	55.00 रु.
2	# विशेष	0.61 रु.	1.32 रु.	100.00 रु.	220. 00 रु.
3	विनश्वर	(क) 1.05 रु. जहां कहीं (स्टेट ऑफ-द-आर्ट) कला की स्थिति सुविधा उपलब्ध कराई गई है। (ख) 0.31 रु. जहां अनन्य सुविधा उपलब्ध नहीं कराई गई है।	(क) 2.29 रु. जहां कहीं (स्टेट ऑफ-द-आर्ट) कला की स्थिति सुविधा उपलब्ध कराई गई है। (ख) 0.66 रु. जहां अनन्य सुविधा उपलब्ध नहीं कराई गई है।	100.00 रु.	220. 00 रु.

(II) डेमरेज प्रभार (भेजने वाले से उद्गृहणीय)

क्र.सं.	स्थोरा का प्रकार	प्रतिदिन प्रतिकिलोग्राम दर		प्रतिपरेषण न्यूनतम दर	
		विद्यमान रु./पै.	1 जनवरी, 2003 से रु./पै.	विद्यमान रु./पै.	1 जनवरी, 2003 से रु./पै.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	साधारण	0.32 रु.	0.35 रु.	50.00 रु.	55.00 रु.
2	# विशेष	1.62 रु.	1.35 रु.	100.00 रु.	220. 00 रु.

3	विनश्वर	(क) 1.05 रु. जहां कहीं (स्टेट ऑफ- द-आर्ट) कला की स्थिति सुविधा उपलब्ध कराई गई है। (ख) 0.32 रु. जहां अनन्य सुविधा उपलब्ध नहीं कराई गई है।	(क) 2.29 रु. जहां कहीं (स्टेट- ऑफ-द-आर्ट) कला की स्थिति सुविधा उपलब्ध कराई गई है। (ख) 0.68 रु. जहां अनन्य सुविधा उपलब्ध नहीं कराई गई है।	100.00 रु.	220. 00 रु
---	---------	--	---	------------	------------

टिप्पण :

- निर्यात स्थोरा के लिए निःशुल्क अवधि भेजने वाले द्वारा परीक्षा/प्रसंस्करण के लिए एक कार्य दिन (24 घंटे) होगी।
- टर्मिनल, भंडारण और प्रसंस्करणों में 10% की छूट उन निर्यातों को प्रदान की जाएगी जो अपने यानों से ट्रक डाक पर स्थोरा उतरवाने के लिए तथा उसे सीमाशुल्क परीक्षा क्षेत्र तक भेजने के लिए लोडर (लादने वाले) तैनात करने का विकल्प रखते हैं।
- समाचार पत्र तथा टी.वी. रील परेषणों को लागू टर्मिनल, भंडारण और प्रसंस्करण प्रभार विहित प्रभार का 50% होगा।
- मानव अवशेषों, कफन जिसके अंतर्गत मृतक का साथ न चलने वाला यात्री सामान भी है तथा मानव आंखों के परेषणों को टर्मिनल, भंडारण और प्रसंस्करण तथा डेमेरेज प्रभारों के परिधि से छूट प्राप्त होगी।
- टर्मिनल, भंडारण और प्रसंस्करण प्रभारों में फोर्कलिफ्ट प्रभार सम्मिलित हैं जहां कहीं फोर्कलिफ्ट उपयोग अंतर्ग्रस्त है। कोई पृथक् फोर्कलिफ्ट प्रभार उद्गृहीत नहीं किया जाएगा।
- # विशेष स्थोरा के अंतर्गत जीवित पशु, परिसंकटमय माल तथा मूल्यवान स्थोरा है।
- प्रभार परेषण के “सकल भार” या “प्रभार्य भार” पर जो भी अधिक हो, उद्गृहीत किया जाएगा। जहां कहीं “सकल भार” और (या) “आयतन भार” विमान मार्ग पत्र पर गलत रूप से उपदर्शित किया जाता है तथा अधिक पाया जाता है, वहां प्रभार “वास्तविक सकल भार” या “वास्तविक आयतनी भार” पर जो भी अधिक हो, उद्गृहीत किया जाएगा।
- घोषित भार के 2 से ऊपर और 5% तक भार की गलत घोषणा के लिए लागू टर्मिनल, भंडारण, प्रसंस्करण प्रभार की दुगुनी दर से शास्तिक प्रभार उद्गृहीत किया जाएगा। 5% से अधिक के अंतर के लिए शास्तिक प्रभार अंतरीय भार को लागू टर्मिनल, भंडारण और प्रसंस्करण प्रभार का पांच गुनी दर से उद्गृहीत किया जाएगा। 2% तक जिसमें 2% भी है, अंतर के लिए कोई शास्तिक प्रभार उद्गृहणीय नहीं होगा। यह मूल्यवान स्थोरा को लागू नहीं होगा।
- सभी बिल निकटतम 5 तक पूर्णांकित किए जाएंगे। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण कार्य कौशल (टैक्ट) पुस्तक खंड 5.7.2, के अनुसार पूर्णांकन प्रक्रिया जब पूर्णांकन इकाई 5 है।

जब संगणना के परिणाम

— से — के बीच है

102.5 — 107.4

107.5 — 112.4

पूर्णांकित रकम होगी।

105

110

ख- आयात स्थोरा

(I) टर्मिनल, भंडारण और प्रसंस्करण प्रभार

क्र.सं.	स्थोरा का प्रकार	प्रति किलोग्राम दर		प्रति परेषण न्यूनतम दर	
		विद्यमान रु./पै.	1 जनवरी, 2003 से रु./पै.	विद्यमान रु./पै.	1 जनवरी, 2003 से रु./पै.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	साधारण	1.93 रु.	2.10 रु.	50.00 रु.	55.00 रु.
2	#विशेष और मूल्यवान	3.85 रु.	8.39 रु.	100.00 रु.	220.00 रु.

(II) डेमरेज प्रभार

आयात स्थोरा के लिए निःशुल्क भंडारण अवधि उड़ान के आगमन की तारीख सहित 5 कार्यदिवस होगी। आगामी दो दिन के लिए डेमरेज “प्रति किलोग्राम प्रति दिन” की दर से असंचयी आधार पर प्रभारित किया जाएगा परंतु तब जब परेषण की सात दिन के भीतर निकासी कर ली जाती है। यदि निकासी 7 दिन के पश्चात् (जिसके अंतर्गत उतारने की तारीख भी है) होती है तो डेमरेज उड़ान के आगमन की तारीख से संपूर्ण अवधि के लिए निम्नलिखित रूप में प्रोद्भूत होगा :-

क्र.सं.	स्थोरा का प्रकार	अवधि	प्रतिकिलोग्राम दर		प्रतिपरेषण न्यूनतम दर	
			विद्यमान रु./पै.	1 जनवरी, 2003 से रु./पै.	विद्यमान रु./पै.	1 जनवरी, 2003 से रु./पै.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	साधारण स्थोरा	निःशुल्क अवधि सहित 7 दिन तक	0.56	0.61 रु.	125.00 रु.	135.00 रु.
		8 दिन से 30 दिन के बीच	1.13 रु.	1.23 रु.		
		30 दिन से अधिक	1.69 रु.	1.84 रु.		
2	#विशेष स्थोरा	निःशुल्क अवधि सहित 7 दिन तक	1.13 रु.	2.45 रु.	250.00 रु.	545.00 रु.
		8 दिन से 30 दिन के बीच	2.25 रु.	4.91 रु.		
		30 दिन से अधिक	3.38 रु.	7.36 रु.		

	8 दिन से 30 दिन के बीच	4.50 रु.	9.81 रु.	500.00 रु.	1,090. 00 रु
	30 दिन से अधिक	6.75 रु.	14.72 रु.		

टिप्पण

- मानव अवशेषों, कफन, जिसके अंतर्गत मृतक का यात्री सामान है तथा मानव आंखों के परेषणों को टर्मिनल, भंडारण और प्रसंस्करण तथा डेमरेज प्रभारों की परिधि से छूट प्राप्त होगी।
- कोई पृथक् फोर्कलिफ्ट प्रभार नहीं उद्गृहीत किया जाएगा।
- प्रभार पारेषण के “सकल प्रभार” या “प्रभार्य प्रभार” पर जो भी अधिक हो, उद्गृहीत किया जाएगा। जहां कहीं “सकल प्रभार” और (या) आयतन प्रभार विमान मार्ग पत्र पर गलत रूप में उपदर्शित किया जाता है और वास्तव में अधिक पाया जाता है तो प्रभार “वास्तविक सकल भार” या “वास्तविक आयतनी भार” या “प्रभार्य भार” पर जो भी अधिक हो उद्गृहीत किया जाएगा।
- # विशेष आयात स्थोरोर में शीतागार में भंडारित स्थोरा, जीवित पशु तथा परिसंकटमय माल है।
- @ मूल्यवान स्थोरा में सोना, बुलियन, करेंसी नोट, प्रतिभूतियां, शेयर, शेयर कूपन, यात्री चेक, हीरा (औद्योगिक उपयोग के लिए हीरा सहित) हीरे के आभूषण, चांदी के बने आभूषण और घड़ियां, स्वर्ण प्लेटिनम तथा यूएसडी 1000 प्रति किलोग्राम और उससे ऊपर मूल्यांकित मर्दे।
- सभी बिल निकटतम 5 तक पूर्णांकित किए जाएंगे। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के कार्य कौशल (टैक्ट) नियम पुस्तक खंड 5.7.2 के अनुसार पूर्णांकित करने की प्रक्रिया, जब पूर्णांकित इकाई 5 है।

जब संगणना के परिणाम
-----से-----के बीच हैं

102.5 — 107.4
107.5 — 112.4

पूर्णांकित रकम होगी।

105
110

एस. के. नरूला, अध्यक्ष

[विज्ञापन III/IV/158/2003/असा.]

AIRPORTS AUTHORITY OF INDIA

NOTIFICATION

13th June,
dated the June 13 2003

New Delhi, the 13th June, 2003

s. Cargo/1351/4. -

No. Cargo/1351/9.—In exercise of the powers conferred by clause (d) of sub-section (2) of section 42 of the Airports Authority of India Act, 1994, (55 of 1994) and in supersession of the International Airports Authority of India (Storage and Processing of Goods) Regulations, 1993, except as respect things done or omitted to be done before such supersession, the Airports Authority of India with the previous approval of the Central Government, hereby makes the following regulations, namely:-

1. **Short title and commencement.**— (1) These regulations may be called the **Airports Authority of India (Storage and Processing of Cargo, Courier and Express Goods and Postal Mail) Regulations, 2003.**

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Definitions** .— (1) In these regulations, unless the context otherwise requires .-

- (a) **"Act"** means the Airports Authority of India Act, 1994 (55 of 1994);
- (b) **"Airport Director"** means the Airport Director or In-charge of the Airport or Aerodrome or Civil Enclave;
- (c) **"Controller"** means the controller of Aerodrome;
- (d) **"Executive Director(Cargo)"** means the Executive Director (Cargo) at the Corporate Office;
- (e) **"Authority"** means the Airports Authority of India constituted under section 3 of the Act;
- (f) **"Baggage"** means personal wearing apparel and personal articles of a passenger and includes unaccompanied baggage moving under an Airway Bill;
- (g) **"Bill of Entry"** means Bill of Entry referred to in section 46 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962);
- (h) **"Cargo"** in relation to goods, means any property or goods carried or to be carried in an aircraft and also property or goods including unaccompanied baggage and diplomatic mail or bags moving under an airway bill as well as courier bags, express parcels, Postal Mail, "agricultural produce and goods intended to be stored in a cold-storage, handled", processed or stored by the Authority or agency accredited by the Authority;

1653GL103-3

- (i) **“Cargo Handling Agency”** means a person, firm or company handling cargo as an agent of the Authority or the licensee and may include the Authority
- (j) **“Carrier”** means the airline that carries or undertakes to carry the cargo or perform any other service related to such air carriage;
- (k) **“Cargo Terminal”** means area, structures and installations encompassing the Airport Cargo Terminal or any other ancillary areas, structures and installations including cold-storage, heavy cargo shed, bay areas, live animal sheds, valuable cargo strong room, etc. used wholly or partly for handling, storage and processing of International Cargo or Domestic Cargo;
- (l) **“Carting Order”** means a document or endorsement made on the Airway Bill issued by a Carrier, undertaking to airlift the export cargo by stipulated flight and date;
- (m) **“Consignee”** means the person whose name appears on the Airway Bill or the person to whom the cargo is to be delivered;
- (n) **“Demurrage”** means the rate or amount of charges payable to the Authority by a shipper or consignee or carrier or agent or passenger for utilizing storage facility at Cargo Terminal, for storage of cargo, goods, unaccompanied baggage, stores, courier bags, express parcels, Postal mail, etc. for extended period beyond the stipulated free storage period for clearance or removal from the Cargo Terminal of the Authority or of the Customs at the Cargo Terminal;
- (o) **“Destuffing”** means an activity of processing which comprises offloading of cargo from Unit Load Device including trolleys etc.;
- (p) **“Electronic Data Interchange”** means United Nations-Electronic Data Interchange for Administration, Commerce and Transport or any other agreed standards for interchange of messages, data or documents in electronic forms, in a predefined standards or multiple standards through the services of Value Added Network services provider for user friendly electronic interchange of messages;

- (g) **"Export"** means taking cargo or goods or property out of India from a place inside India;
- (r) **"Export handling"** means loading or unloading of export cargo, ready for carriage, packing or unpacking, unitisation, inventory control, etc.
- (s) **"Goods"** means and include –
 - (i) vessels, aircraft and vehicles;
 - (ii) stores;
 - (iii) baggage;
 - (iv) currency and negotiable instruments; and
 - (v) any other kind of movable property;
- (t) **"Head of the Cargo Department"** means the Officer who is the head of the Department of Cargo at the Corporate Office of the Authority or any other Officers authorized by the Chairman of the Authority in this behalf and includes the Executive Director (Cargo);
- (u) **"Import"** means bringing cargo or goods or property into India from a place outside India;
- (v) **"Import handling"** Loading or unloading, destuffing of import cargo, segregation, binning, packing or unpacking, inventory control and disposal of uncleared or unclaimed cargo activities, etc.
- (w) **"Officer"** means an officer of the Authority including the Airport Director, Controller of Aerodrome, Incharge of the Airport or Aerodrome or Civil Enclave, the Head of the Cargo Department at Corporate Office or at Airport or Aerodrome or Civil Enclave;
- (x) **"Shipper"** means and includes an exporter or an agent or a passenger or a consignor who tenders cargo for air carriage;
- (y) **"Shipping Bill"** means Shipping Bill referred to in section 50 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962);
- (z) **"Special charges"** means charges levied or to be collected by the Authority for providing special facilities such as cold storage, strong room, sheds for live animals, hazardous goods, X-ray screening, break bulk functions, etc.;

- (Za) **“Stores”** means goods for use in a vessel or an aircraft and includes fuel, spare parts and other articles and equipments, whether or not for immediate use;
- (Zb) **“Schedule”** means the schedule annexed to these regulations;
- (Zc) **“Terminal Storage and Processing Charges”** means the charges to be levied or collected by the Authority or any authorized Cargo Handling Agency for the use of Cargo Terminal facilities or its services and other expenses incurred including loading and unloading, storage in warehouses or processing cargo goods, etc. and includes electricity charges, insurance premium, security charges, Terminal Charges Electronic Data Interchange and Electronic Data Interchange service centre charges, Value Added Network service charges, surcharge for heavy cargo, and cargo requiring special care such as hazardous, perishable, live animals, valuables and express cargo, etc., and Licence fee;
- (Zd) **“Transshipment cargo”** means cargo, which is unloaded from one carrier and loaded or intended to be loaded on the same or on another carrier or vehicle for on-carriage to its final destination;
- (Ze) **“Value Added Network”** means adding value to the basic telecommunication networks in order to provide a more cost effective service, other complementary services, including electronic mail, on-line data bases electronic fund transfer services, etc., and a host of support facilities such as audit trail transaction of Electronic Data Interchange standard and implementation support.
- (Zf) **“Unitization”** is a process of consolidating packages of cargo into a single unit.

2. Words and expression used herein but not defined and defined in the Act shall have the same meaning assigned to them under the said Act.

3. **Procedure and Documents required for storage, processing and handling of cargo .—** (1) The following procedures shall be followed for Storage

and Processing and handling of cargo in the Cargo Terminal at an Airport, Aerodrome or civil enclave either through paper based documents or through Electronic Data Interchange, namely:-

- (a) with regard to export goods, the shipper shall obtain a valid carting order from the concerned carrier who shall issue it separately or by stamping the Shipping Bill or through Electronic Data Interchange. The Cargo or goods shall be admitted in the Cargo Terminal only after the above document is found to be in order by authorized officials and terminal storage and processing charges are received. The charges may be paid in cash or by Pay-Order cheques or any other mode as specified from time to time by the Authority and are payable to the Authority either direct or through the accredited Handling Agency. The shipper shall get the cargo examined by Customs officials before handing it over to the officer of the Authority or accredited Handling Agency or the concerned airlines as the case may be who shall keep it in sterile and bonded area for transfer and shall, on demand, transfer it to the concerned carrier after obtaining a valid receipt. The Authority shall have a lien on cargo or goods till the charges are recoverable or applicable are received by it;
- (b) in regard to goods imported, the goods shall be received by the officers of the Authority or accredited Cargo Handling Agency from the carrier under overall supervision of Customs official(s). The consignee shall be responsible for obtaining delivery order from the concerned airlines, getting the cargo examined by Customs officials and obtaining Customs' "Out of Charge" endorsement. The officers of the Authority shall deliver the consignment to the consignee or the authorized agent after collecting applicable charges and obtaining a valid receipt from the consignee or the authorized agent of having received the goods. The Authority shall have a lien on cargo or goods till the charges are paid;

- (c) in regard to transshipment cargo, relevant airlines and Customs documents shall be relied upon for its admission, handing over and delivery, as the case may be, on levy and collection of applicable charges by the Authority.
 - (2) The Head of the Cargo Department or Airport Director or Controller of Aerodrome at the airport or aerodrome or civil enclave may specify additional procedures to suit local conditions. Such procedures may include time limit for storing export, import and transshipment cargo in the Cargo Terminal.
 - (3) The Head of the Cargo Department or the Airport Director or Controller of Aerodrome at the airport or aerodrome or civil enclave or Executive Director (Cargo) may devise or prescribe documents and implement procedures to be used at the Cargo Terminal for paper based / Electronic Data Interchange transaction for storage and processing of cargo or goods, from time to time.
4. **Levy of Charges** .— The Authority shall levy charges, which may include Terminal handling including 'unitization' and 'destuffing' charges, facilitation charges, Terminal Storage and Processing Charges, security screening charges, Electronic Data Interchange or Value Added Network service charges, demurrage and special charges for live animals, hazardous cargo, radioactive cargo, express cargo, courier and cargo requiring strong room facilities. The Authority may levy any other charges for which services are provided by it to its users under the provision of these regulations, which may include the operations of Break-bulk or consolidation of cargo and handling of Postal Mail, etc..
5. **Scale of Charges** .— The Authority shall fix the scale of charge at the rate as specified in the Schedule for storage or processing of goods under these regulations for providing requisite facilities and to discourage storage beyond a reasonable time thereby minimizing the dwell time of cargo at the Terminal.

6. **Waiver of Charges** .— The Authority may, from time to time, lay down the procedure and policy for waiver of demurrage charges under these regulations.

7. **Licence fee** .— (1) Build-in-accommodation for office use, storage or processing of cargo, equipment and open space may be given to Customs, Government regulatory agencies, airlines, air cargo agents, Customs clearing agents and any other agency connected with Air Cargo trade on payment of licence fee as may be determined by the Authority from time to time.

(2) The licensees shall also be liable to pay water, electricity, conservancy, telephone Electronic Data Interchange and such other charges as may be fixed and levied by the Authority from time to time.

8. **Care of Cargo** .— (1) The cargo shall be stored in the International Air Cargo Terminal or its allied structure under the overall control and supervision of Customs authorities. While the Authority shall be the Custodian of the import cargo delivered to it by the Carriers, the responsibility for export cargo shall be that of the shipper or its agent before customs examination, of the Customs in respect of detained cargo during examination and of the carriers after examination. The Authority may take over the care of Customs cleared cargo on behalf of the airlines, under bilateral agreement with the concerned airlines, when Customs cleared cargo is handed over to it, to provide a sterile and bonded area for security, safe custody and storage of such cargo till its shipment by the airlines.

(2) The Authority shall take such care of the cargo or goods which come in its custody as a person of ordinary prudence shall under similar circumstances take in relation to his own goods and in the absence of any contract to the contrary, the Authority shall not be responsible for loss or destruction or deterioration of cargo, courier or goods if care has been taken as aforesaid provided that the liability of the Authority for loss or destruction or deterioration of cargo or goods in any case shall not exceed

liability as admissible under the contract of carriage as enshrined under the Airway Bill or to the extent of the liability of the Carrier.

9. **Storage of Cargo** .— Any officer not below the rank of Assistant Cargo Manager may issue instruction for movement and storage of cargo and for proper use of space, weighing, processing and storage equipment provided by the Authority in the Cargo Terminal.

10. **Admission of Personnel and Vehicles** .— The officers referred to in regulation 9 may prevent or restrict admission of persons and vehicles and regulate their movement within the Cargo Terminal.

11. **Hours of Operation** .— Head of the Cargo Department or the Airport Director or Controller of Aerodrome, as the case may be, may lay down working hours for various operations in the Cargo Terminal and revise the same from time to time.

THE SCHEDULE

(See regulation 5)

SCALE OF CHARGES

PART - I

CHARGES AT INTERNATIONAL AIRPORTS

A - EXPORT CARGO

(I) TERMINAL, STORAGE AND PROCESSING CHARGES

SL No.	Type of Cargo	Rate per kilogram		Minimum rate per consignment	
		Existing Rs. / P	with effect from 1 st January, 2003 Rs/P	Existing Rs. / P	with effect from 1 st January, 2003 Rs/P
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	General	Re. 0.61	Re. 0.66	Rs.100.00	Rs. 110.00
2	# Special	Rs. 1.21	Rs. 1.32	Rs. 200.00	Rs. 220.00
3	Perishable	(a) Rs.2.10 Wherever state-of-the-art facility is provided (b) Re. 0.61 where exclusive facility is not provided	(a) Rs.2.29 Wherever state-of-the-art facility is provided (b) Re. 0.66 where exclusive facility is not provided	Rs. 200.00	Rs. 220.00

(II) DEMURRAGE CHARGES (Leviable From Shipper)

Sl No	Type of Cargo	Rate per kilogram Per day		Minimum rate per consignment	
		Existing Rs. / P	with effect from 1 st January, 2003 Rs/P	Existing Rs. / P	with effect from 1 st January, 2003 Rs/P
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	General	Re. 0.62	Re. 0.68	Rs.100.00	Rs. 110.00
2	# Special	Rs. 1.24	Rs. 1.35	Rs. 200.00	Rs. 220.00
3	Perishable	(a) Rs.2.10 Wherever state-of-the-art facility is provided (b) Rs. 0.62 Where exclusive facility is not provided	(a) Rs.2.29 Wherever state-of-the-art facility is provided (b) Rs. 0.68 Where exclusive facility is not provided	Rs. 200.00	Rs. 220.00

165362/03-4

NOTES:

1. The free period for export cargo shall be one working day (24 hours) for examination/processing by the shippers.
2. 10% discount in the Terminal, Storage and Processing charges will be granted to Exports who opt for engaging their own loaders for offloading cargo from their vehicles at Truck Dock and shifting to Custom Examination Area.
3. Terminal, Storage and Processing charges applicable to Newspaper and TV reel consignments shall be 50% of the prescribed charges.
4. Consignments of human remains, coffin including unaccompanied baggage of deceased and Human eyes will be exempted from the purview of Terminal, Storage and Processing and Demurrage charges.
5. Terminal, Storage and Processing charges are inclusive of Forklift charges wherever Forklift usage is involved. No separate Forklift charges will be levied.
6. # Special cargo consists of live animals, hazardous goods and valuable cargo.
7. Charges will be levied on the 'gross weight' or the 'chargeable weight' of the consignment, whichever is higher. Wherever the 'gross weight' and (or) 'volume weight' is wrongly indicated on the Airway Bill and is found more, charges will be levied on the 'actual gross weight' or 'actual volumetric weight', whichever is higher.
8. For misdeclaration of weight above 2 and upto 5% of declared weight penal charges @ double the applicable Terminal, Storage and Processing charges will be levied. For variation above 5%, the penal charges will be leviable @ 5 times the applicable Terminal, Storage and Processing charges of the differential weight. No penal charges will be leviable for variation upto and inclusive of 2%. This will not apply to Valuable Cargo.
9. All the Bills shall be rounded off to the nearest of Rs. 5/-. As per IATA Tact Rule book Clause-5.7.2, the rounding off procedure, when the rounding off Unit is 5.

When the results of calculations**Are between / and**

102.5 - 107.4
107.5 - 112.4

Rounded off amount will be

105
110

B - IMPORT CARGO**(I) TERMINAL, STORAGE AND PROCESSING CHARGES**

Sl No	Type of Cargo	Rate per kilogram		Minimum rate per consignment	
		Existing Rs. / P	with effect from 1 st January, 2003 Rs/P	Existing Rs. / P	with effect from 1 st January, 2003 Rs/P
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	General	Rs.3.85	Rs. 4.20	Rs. 100.00	Rs. 110.00
2	# Special and Valuable	Rs.7.70	Rs. 8.39	Rs. 200.00	Rs. 220.00

(II) DEMURRAGE CHARGES

Free storage period for Import cargo shall be 5 working days including the date of the arrival of flight. For the next two days, demurrage will be charged at "per kg; per day" non-cumulative basis, provided the consignment is cleared within seven days. If clearance is effected after 7 days (including the date of landing) demurrage will accrue for the entire period from the date of the arrival of the flight, as follows:-

Sl. No.	Type of Cargo	PERIOD	Rate per Kilogram per day		Minimum rate per consignment	
			Existing (Rs. / P.)	with effect from 1 st January, 2003 Rs/P	Existing (Rs. / P.)	with effect from 1 st January, 2003 Rs/P
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	General Cargo	Up to 7 days including Free period .	Rs. 1.13	Rs.1.23	Rs. 250.00	Rs. 275.00
		Between 8 and 30 days	Rs. 2.25	Rs. 2.45		
		Beyond 30 days	Rs. 3.38	Rs. 3.68		
2.	# Special Cargo	Up to 7 days including free period	Rs. 2.25	Rs. 2.45	Rs. 500.00	Rs. 545.00
		Between 8 and 30 days	Rs. 4.50	Rs. 4.91		
		Beyond 30 days	Rs. 6.75	Rs. 7.36		
3.	@ Valuable Cargo	Upto 7 days including free period	Rs. 4.50	Rs. 4.91	Rs. 1,000.00	Rs. 1,090.00
		Between 8 and 30 days	Rs. 9.00	Rs. 9.81		
		Beyond 30 days	Rs. 13.50	Rs. 14.72		

NOTES:

1. Consignments of human remains, coffin including baggage of deceased and Human eyes will be exempted from the purview of Terminal, Storage and Processing and Demurrage charges.
2. No separate Forklift charges will be levied.
3. Charges will be levied on the 'gross weight' or the 'chargeable weight' of the consignment whichever is higher. Wherever the 'gross weight' and (or) volume weight is wrongly indicated on the Airway Bill and is actually found more, charges will be levied on the 'actual gross weight' or 'actual volumetric weight' or 'chargeable weight' whichever is higher.
4. # Special Import cargo consists of cargo stored in cold storage, live animals and hazardous goods.
5. @ Valuable cargo consists of gold, bullion, currency notes, securities, shares, share coupons, travelers' cheques, diamonds (including diamonds for industrial use), diamond jewelry, jewelry & watches made of silver, gold platinum and items valued at USD 1000 per Kg. and above.
6. All the Bills shall be rounded off to the nearest of Rs. 5/-. As per IATA Tact Rule book Clause-5.7.2, the rounding off procedure, when the rounding off Unit is 5.

When the results of calculations**Are between / and**

102.5 - 107.4
107.5 - 112.4

Rounded off amount will be

105
110

PART - II

RATON

CHARGES AT DOMESTIC AIRPORTS

A - EXPORT CARGO

(I) TERMINAL, STORAGE AND PROCESSING CHARGES

Sl. No.	Type of Cargo	Rate per kilogram		Minimum rate per consignment	
		Existing Rs. / P	with effect from 1 st January, 2003 Rs/P	Existing Rs. / P	with effect from 1 st January, 2003 Rs/P
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	General	Re. 0.31	Re. 0.34	Rs. 50.00	Rs. 55.00
2	# Special	Rs. 0.61	Rs. 1.32	Rs. 100.00	Rs. 220.00
3	Perishable	(a) Rs.1.05 Wherever state-of-the-art facility is provided (b) Re. 0.31 where exclusive facility is not provided	(a) Rs.2.29 Wherever state-of-the-art facility is provided (b) Re. 0.66 where exclusive facility is not provided	Rs. 100.00	Rs. 220.00

(II) DEMURRAGE CHARGES (Leviable From Shipper)

Sl No	Type of Cargo	Rate per kilogram Per day		Minimum rate per consignment	
		Existing Rs. / P	with effect from 1 st January, 2003 Rs/P	Existing Rs. / P	with effect from 1 st January, 2003 Rs/P
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	General	Re. 0.32	Re. 0.35	Rs.50.00	Rs. 55.00
2	# Special	Re. 0.62	Rs. 1.35	Rs. 100.00	Rs. 220.00
3	Perishable	(a) Rs.1.05 Wherever state-of-the-art facility is provided (b) Re. 0.32 Where exclusive facility is not provided	(a) Rs.2.29 Wherever state-of-the-art facility is provided (b) Rs. 0.68 Where exclusive facility is not provided	Rs. 100.00	Rs. 220.00

NOTES:

1. The free period for export cargo shall be one working day (24 hours) for examination/processing by the shippers.
2. 10% discount in the Terminal, Storage and Processing charges will be granted to Exports who opt for engaging their own loaders for offloading cargo from their vehicles at Truck Dock and shifting to Custom Examination Area.
3. Terminal, Storage and Processing charges applicable to Newspaper and TV reel consignments shall be 50% of the prescribed charges.
4. Consignments of human remains, coffin including unaccompanied baggage of deceased and Human eyes will be exempted from the purview of Terminal, Storage and Processing and Demurrage charges.
5. Terminal, Storage and Processing charges are inclusive of Forklift charges wherever Forklift usage is involved. No separate Forklift charges will be levied.
6. # Special cargo consists of live animals, hazardous goods and valuable cargo.
7. Charges will be levied on the 'gross weight' or the 'chargeable weight' of the consignment, whichever is higher. Wherever the 'gross weight' and (or) 'volume weight' is wrongly indicated on the Airway Bill and is found more, charges will be levied on the 'actual gross weight' or 'actual volumetric weight', whichever is higher.
8. For misdeclaration of weight above 2 and upto 5% of declared weight penal charges @ double the applicable Terminal, Storage and Processing charges will be levied. For variation above 5%, the penal charges will be leviable @ 5 times the applicable Terminal, Storage and Processing charges of the differential weight. No penal charges will be leviable for variation upto and inclusive of 2%. This will not apply to Valuable cargo.
9. All the Bills shall be rounded off to the nearest of Rs. 5/-. As per IATA Tact Rule book Clause- 5.7.2, the rounding off procedure, when the rounding off Unit is 5.

When the results of calculations
Are between / and

Rounded off amount will be

102.5 -	107.4	105
107.5 -	112.4	110

B - IMPORT CARGO**(I) TERMINAL , STORAGE AND PROCESSING CHARGES**

Sl No	Type of Cargo	Rate per kilogram		Minimum rate per consignment	
		Existing Rs. / P	with effect from 1 st January, 2003 Rs/P	Existing Rs. / P	with effect from 1 st January, 2003 Rs/P
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	General	Rs.1.93	Rs. 2.10	Rs. 50.00	Rs. 55.00
2	# Special and Valuable	Rs.3.85	Rs. 8.39	Rs. 100.00	Rs. 220.00

(II) DEMURRAGE CHARGES

Free storage period for Import cargo shall be 5 working days including the date of the arrival of flight. For the next two days, demurrage will be charged at "per kg; per day" non-cumulative basis, provided the consignment is cleared within seven days. If clearance is effected after 7 days (including the date of landing) demurrage will accrue for the entire period from the date of the arrival of the flight, as follows:-

Sl. No.	Type of Cargo	PERIOD	Rate per Kilogram per day		Minimum rate per consignment	
			Existing (Rs. / P.)	with effect from 1 st January, 2003 Rs/P	Existing (Rs. / P.)	with effect from 1 st January, 2003 Rs/P
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	General Cargo	Up to 7 days including Free period .	Re. 0.56	Re. 0.61	Rs. 125.00	Rs. 135.00
		Between 8 and 30 days	Rs. 1.13	Rs. 1.23		
		Beyond 30 days	Rs. 1.69	Rs. 1.84		
2	# Special Cargo	Up to 7 days including free period	Rs. 1.13	Rs. 2.45	Rs. 250.00	Rs. 545.00
		Between 8 and 30 days	Rs. 2.25	Rs. 4.91		
		Beyond 30 days	Rs. 3.38	Rs. 7.36		
3	@ Valuable Cargo	Upto 7 days including free period	Rs. 2.25	Rs. 4.91	Rs. 500.00	Rs.1,090.00
		Between 8 and 30 days	Rs. 4.50	Rs. 9.81		
		Beyond 30 days	Rs. 6.75	Rs. 14.72		

NOTES:

1. Consignments of human remains, coffin including baggage of deceased & Human eyes will be exempted from the purview of Terminal, Storage and Processing and Demurrage charges.
2. No separate Forklift charges will be levied.
3. Charges will be levied on the 'gross weight' or the 'chargeable weight' of the consignment whichever is higher. Wherever the 'gross weight' and (or) volume weight is wrongly indicated on the Airway Bill and is actually found more, charges will be levied on the 'actual gross weight' or 'actual volumetric weight' or 'chargeable weight' whichever is higher.
4. # Special Import cargo consists of cargo stored in cold storage, live animals and hazardous goods.
5. @ Valuable cargo consists of gold, bullion, currency notes, securities, shares, share coupons, travelers' cheques, diamonds (including diamonds for industrial use), diamond jewelry, jewelry & watches made of silver, gold platinum and items valued at USD 1000 per Kg. and above.
6. All the Bills shall be rounded off to the nearest of Rs. 5/-. As per IATA Tact Rule book Clause- 5.7.2, the rounding off procedure, when the rounding off Unit is 5.

When the results of calculations**Are between / and**

102.5 - 107.4
107.5 - 112.4

Rounded off amount will be

105

110

S.K. NARULA, Chairman

[ADVT. III/IV/158/2003/Ext.]